[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

((केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 78 /2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.------(अ), - केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i), तारीख 31 मार्च, 2003 के सा.का.नि. 274 (अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं.52/2003-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 प्रकाशित की गई थी, उसमें निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना में, "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उसपर सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय की पूरी ड्यूटी से और अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई, कथित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धार 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय हो, निम्नलिखित शर्तों के तहत, अर्थात:-" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"से-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उसपर सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय की पूरी ड्यूटी और अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई, कथित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धार 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय हो; और

(ख) कथित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) और (9) के अधीन उसपर क्रमश:, एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर:

बशर्ते कि उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद कुछ भी लागू नहीं होगा, निम्नलिखित शर्तों के तहत, अर्थात:-"

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/09/2017(पार्ट.2)]

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी **:-** तारीख 31 मार्च, 2003 की मूल अधिसूचना सं.52/2003-सीमाशुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i), में तारीख 31 मार्च, 2003 की संख्या सा.का.नि.274 (अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी और इसमें तारीख 30 जून, 20017 की संख्या सा.का.नि.736 (अ) के अधीन प्रकाशित तारीख 30 जून, 20017 की अधिसूचना सं.59/2017-सीमाशुल्क के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।